

जिला कोषागार, मधेपुरा।

पत्रांक 863

प्रेषक,

वरीय कोषागार पदाधिकारी,
मधेपुरा।

सेवा में,

जिला कोषागार, मधेपुरा अन्तर्गत
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।

मधेपुरा, दिनांक 19/10/16

विषय :- आनलाईन वेतन विपत्र का हार्ड कॉपी 2(दो) प्रति में प्रस्तुत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं० को० प्र० /
विविध- 14 / 2016-4361 / वि० दिनांक 30.05.2016 के आदेशानुसार :-

- 1) आनलाईन विपत्र दो प्रति में कोषागार में प्रस्तुत किया जाना है।
- 2) पे-इन-स्लीप एवं अलग से भुगतान एडमाईस स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 3) आनलाईन विपत्र में कर्मियों का बैंक खाता अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाय। बैंक खाता विवरणी पर भी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का मुहर सहित हस्ताक्षर अनिवार्य है।
- 4) भविष्य निधि खाते से अग्रिम निकासी के साथ खाते में अधतन शेष की विवरणी (भविष्य निधि कार्यालय से निर्गत लेखा पर्ची) विपत्र के साथ संलग्न किया जाय।

विश्वसभाजन

वरीय कोषागार पदाधिकारी,

मधेपुरा।

ज्ञापांक 863 / मधेपुरा, दिनांक 19/10/16

प्रतिलिपि :- सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन०आई०सी०, मधेपुरा को सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि इसे मधेपुरा के WEB-SITE पर UPLOAD करने की कृपा की जाय।

वरीय कोषागार पदाधिकारी,

मधेपुरा।